न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4563–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–11–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर प्रकरण कमांक 57/अपील/2011–12.

1–तोताराम पिता बुधाजी भीलाला
2–श्रीमती सुमनबाई पति तोताराम भीलाला
निवासी धामनोद तहसील धरमपुरी जिला इंदौर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

दयाराम पिता बुधाजी भीलाला मृतक तर्फे वारिसान
1–मनीष पिता स्व0दयाराम भिलाला
2–अनिताबाई पति स्व0दयाराम भिलाला
निवासीगण धामनोद तहसील धरमपुरी जिला इंदौर

.....अनावेदकगण

.....

श्री पी0जी0पाठक, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री विजय जाट, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/1/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–11–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक कमांक 1 तोताराम एवं राजाराम एवं अनावेदकगण के पूर्वज दयाराम द्वारा तहसील न्यायालय तहसील राजपुर में इस आशय

का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम घुसगॉव स्थित भूमि सर्वे कमांक 225/3 रकबा 11 एकड़ (4.451 हेक्टेयर) उनके संयुक्त स्वत्व की भूमि रही है, और वे आपसी कब्जे अनुसार अपनी अपनी भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं, अतः आपसी बटवारे अनुसार बटवारा आदेश पारित किया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–27/1984–85 दर्ज कर दिनांक 22–10–1984 को बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर मृतक दयाराम के वारिस अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील दिनांक 10–3–2010 को लगभग 26 वर्ष पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 21–9–2011 को आदेश पारित किया जाकर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 13–11–2013 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाकर द्वितीय अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक कमांक 1 को तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–11–1984 की जानकारी पूर्व से रही है । तहसीलदार के प्रकरण में अनावेदकगण के पूर्वज दयाराम के आवेदन पत्र एवं प्रथम आदेश पत्रिका पर हस्ताक्षर है और उसके द्वारा बटवारे में सहमति संबंधी कथन भी कराये गये है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि उसने अपने हिस्से की भूमि के बदले में मुआवजा प्राप्त कर लिया है और उक्त भूमि में उसे हिस्सा नहीं चाहिये। फर्द बटवारा पर भी सहमति स्वरूप उसके हस्ताक्षर है, अतः सहमति के आधार पर पारित आदेश के विरूद्ध लगभग 27 वर्ष पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसे अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है ।

(1) प्रश्नाधीन भूमि मृतक राजाराम, मृतक दयाराम एवं तोताराम द्वारा संयुक्त रूप से क्रय की जाकर उनके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गये थे एवं वे संयुक्त रूप से कृषि कार्य कर रहे थे । बाद में अनावेदकगण के पिता दयाराम घुसगॉव छोडकर मजदूरी करने ग्राम धामनोद चल गये तथा अपने हिस्से की भूमि तोताराम व मृतक राजाराम को उपयोग करने हेतु दे गये थे । अनावेदकगण के पिता त्यौहार एवं मॉगलिक कार्य में घुसगॉव आते जाते थे एवं मृतक राजाराम एवं तोताराम उनके सगे भाई होने के कारण उन पर विश्वास करते थे । जब वे दिनांक 20–10–2010 को अपने ग्राम लौटे, तब ग्राम पटवारी द्वारा उन्हें बटवारे की जानकारी दी गई कि आवेदक तोताराम ने अपने व अपनी पत्नी सुमनबाई के नाम बटवारा करा लिया है । जानकारी के दिनांक से समय सीमा में प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसे अवधि बाह्य मानकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त करने में अनियमित व अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

(2) तहसीलदार के आदेश में काटपीट की गई है और तहसीलदार द्वारा दिनांक 12–10–1984 को आवेदक तोताराम एवं मृतक राजाराम मृतक दयाराम के कथन अंकित किये गये हैं, जबकि प्रकरण में 12–10–1984 की कोई तिथि नियत ही नही की गई है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा फर्जी आधारों पर बटवारा आदेश पारित किया गया है, जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(3) नायब तहसीलदार के द्वारा बटवारा आदेश पारित करने के पश्चात् इसी भूमि के संबंध में आवेदक तोताराम एवं सुमनबाई के द्वारा दिनांक 22–10–1984 को पुनः नये बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा तहसीलदार न्यायालय द्वारा दिनांक 9–11–1984 को दूसरा बटवारा आदेश पारित कर आवेदक एवं सुमनबाई के मध्य बटवारा आदेश पारित किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि आवेदक द्वारा अनावेदकगण के पिता की भूमि को हडपने के उद्देश्य से कार्यवाही की गई है, जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय सीमा के बिन्दु पर अपील निरस्त की गई है, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा समय सीमा के बिन्दु पर कोई विवेचना नहीं कर सीधे गुणदोष पर आदेश पारित करने में अनियमित कार्यवाही की गई है ।

(3) तहसीलदार द्वारा विधिवत् पूर्ण प्रकिया का पालन कर विज्ञप्ति जारी कर आदेश पारित किया गया है और अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लगभग 27 वर्ष विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है और विलम्ब के प्रतिदिन का कारण नहीं दर्शाया गया है ।

(4) अनावेदकगण द्वारा आवेदकगण की भूमि हड़पने के उद्देश्य से प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है ।

(5) अपर आयुक्त द्वारा बिना किसी आधार के तहसील न्यायालय व अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है क्योंकि तहसीलदार द्वारा बटवारा प्रमाणित किया गया था एवं राजस्व अभिलेख में तद्नुसार प्रविष्टि अंकित की गई थी । इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि असामान्य बटवारा होने के आधार पर पूर्व बटवारा निरस्त नहीं किया जा सकता है ।

(6) अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

तर्क के समर्थन 1996 आरएन 33, 1978 आरएन 222, 2007 आरएन 359, 2010 राजस्व मण्डल 140, 1988(1) म0प्र0विकली नोट 149, 2010(तीन) एमपीजेआर(सुप्रीमकोर्ट) 49, 2010(1) सीसीसी 256 (सुप्रीमकोर्ट) एवं 1989 आरएन 14 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(4) आवेदक द्वारा जिन न्यायदृष्टांतों के आधार पर व सहमति के आधार बटवारा आदेश पारित होना बतलाया जा रहा है, वह त्रुटिपूर्ण है क्योंकि अनावेदकगण के पिता द्वारा बटवारा में कभी कोई सहमति नहीं दी गई और सहमति में अनावेदकगण के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर बटवारा आदेश पारित कराया गया है ।

(5) तहसीलदार द्वारा जो फर्द बटवारा बुलवाई गई है उसमें अनावेदक के पिता के हिस्से में आई भूमि का कोई उल्लेख नहीं किया है, जबकि आवेदक क्रमांक 1 तोताराम के नाम से 2 अलग अलग हिस्से की भूमि दे दी गई है, जबकि अनावेदकगण के पिता सहित राजाराम एवं तोताराम के मध्य बराबर भूमि का बटवारा होना था, परन्तु फर्द बटवारा पर फर्जी तरीके से पटवारी के द्वारा नोट लगाकर अनावेदकगण के पिता के फर्जी हस्ताक्षर कराकर बटवारा फर्द प्रस्तुत किया गया है , अतः फजी बटवारे के आधार पर किये गये बटवारे को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(6) आवेदकगण की ओर से माननीय सुप्रीमकोर्ट के न्यायदृष्टांत का उल्लेख करते हुये यह बताने का प्रयास किया गया है कि अनावेदकगण द्वारा लालचवश समय बाह्य अपील प्रस्तुत की गई है जबकि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदकगण के पिता द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है और आवेदक द्वारा फर्जी कार्यवाही कर अनावेदकगण की भूमि को हडपने के उद्देश्य से बटवारा कराया गया है, जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा न्यायिक कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों पर उभयपक्ष के कब्जे एवं सहमति के आधार पर बटावारा आदेश पारित किया गया है, जबकि संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत प्रश्नाधीन भूमि सह–भूमिस्वामियों द्वारा धारित अंश के अनुपात में बटवारा आदेश पारित किया जायेगा । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से यह भी स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा केवल दो भाईयों के मध्य भूमि का बटवारा कर दिया गया है तथा अन्य सह खातेदारों को बटवारे में किसी प्रकार की

कोई भूमि नहीं दी गई है । स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित है। जहॉ तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के विधि विपरीत एवं क्षेत्राधिकार रहित आदेश को समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त करने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, परन्तु इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि उभयपक्ष सहित सभी सह खातेदारों की सुनवाई तथा पक्ष–समर्थन का पर्याप्त अवसर देते हुये संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के अनुरूप विधिवत् प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा किया जाकर आदेश पारित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर